म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/हम्माल तुलावटी/2080 भोपाल,दिनांक 12/01/2018

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आचंलिक कार्यालय–भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा।

2 सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
............................जिला–.......................

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समिति के हम्माल एवं तुलावटीयों के लिये वजन तथा माप निर्धारण करने बाबत्।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/हम्माल–तुलावटी/297 दिनांक 06.05.2017

कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 36 (4) के तहत अधिसूचित कृषि उपज की तौल या माप के सबंध में उपविधि सन् 2000 में प्रावधानित अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश है। कृषि उपज मण्डियों के लिये लागू उपविधि सन् 2000 की कंडिका 24 में दरों, वजन, माप, तौल के सबंध में मापदण्ड तय किये जाने का अधिकार कृषि उपज मण्डी समितियों को प्रदत्त है।

2. संदर्भित कार्यालयीन पत्र के द्वारा विधि की परिधि में उपज की तौल मात्रा 50/60 किलोग्राम निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं। कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा जिन्सों की भरती तथा वजन के मापदण्ड हेतु सभी संबंधित पक्षों, कृषकों के प्रतिनिधि/संस्थाओं, व्यापारियों के प्रतिनिधि/संस्थाओं, तुलावटियों के प्रतिनिधि/संस्थाओं, हम्मालों के प्रतिनिधि/संस्थाओं से जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निम्न तीन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जावे –

(क) वर्तमान में मण्डी के क्रेता व्यापारियों के पास उपलब्ध पैकेजिंग मटेरियल का प्रकार व मात्रा।

(ख) ट्रेड में प्रचलित पैकेजिंग मटेरियल की साईज का प्रकार व मात्रा।

(ग) पैकेजिंग मटेरियल की साईज व भर्ती घटाने से अनुपातिक तौर पर दरों में कमी की स्थिति ताकि कृषकों या व्यवसाय पर अतिरिक्त भार न पड़े।

3 कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा उपरोक्त विचार विमर्श दि. 31.03.18 के समयावधि के पूर्व पूर्ण किया जाकर वजन में कमी के अनुपातिक तुलाई व हम्माली दर में उचित संशोधन युक्तियुक्तकरण कर 50/60 किलोग्राम भरती की पद्धति दि. 01.04.18 से लागू की जावे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

क./बी–6/नियमन/हम्माल तुलावटी/2081 भोपाल,दिनांक 12/01/2018

प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।

2 आयुक्त (समस्त) संभाग........................।

3 कलेक्टर (समस्त) जिला ....।

4 अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।